

उत्तराखण्ड शासन

खेलकूद अनुभाग

संख्या— /VI/2018-34(4)2018

देहरादून : दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय—ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) में उल्लिखित प्राविधानों में निहित व्यवस्थानुसार के अनुक्रम में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-87/XXX(2)/18/30(13)/2017, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के क्रम में खेलकूद अनुभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या-261/VI/2018-34(4)2018, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को तात्कालिक प्रभाव से अतिक्रमित करते हुये संशोधित स्थायी स्थानान्तरण समिति का एतद्द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

- (1) सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन। — अध्यक्ष
- (2) अपर सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन। — सदस्य
- (3) अपर सचिव, सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन। — सदस्य

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या—280 /VI/2018-34(4)/2018, तददिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव/अपर सचिव, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन स्तर से होने वाले वार्षिक स्थानान्तरण हेतु अधिनियम-2017 में उल्लिखित प्राविधानों/व्यवस्था के अन्तर्गत प्रस्ताव समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)

अनु सचिव।